संख्या-03/2020/315 /46-2-2020-302(1)/2020

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2020**

विषय- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. की पिपराईच एवं मुण्डेरवा चीनी मिलों के गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2019-20 में समय से गन्ना मूल्य भुगतान किए हेतु इण्डियन बैंक गोमती नगर शाखा लखनऊ द्वारा पिपराईच चीनी मिल हेतु रू.100.00 करोड़ व मुण्डेरवा चीनी मिल हेतु रू.100.00 करोड़ की दी जाने वाली नगद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारण्टी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस.एस.सी./सीसीएल/पिपराईच-मुण्डेरवा/2390 दिनांक 31.12.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. की पिपराईच एवं मुण्डेरवा चीनी मिलों के गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2019-20 में समय से गन्ना मूल्य भुगतान किए जाने हेतु इण्डियन बैंक गोमती नगर शाखा लखनऊ द्वारा पिपराईच चीनी मिल हेतु रू.100.00 करोड़ व मुण्डेरवा चीनी मिल हेतु रू.100.00 करोड़ की दी जाने वाली नगद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारण्टी प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: अनुरोध है कि उक्त शासकीय गारण्टी के विरूद्ध देय गारण्टी शुल्क एवं विधीक्षण शुल्क का भुगतान करते हुए ट्रेजरी चालान/रसीद सहित शासकीय गारण्टी हेतु विलेख तैयार कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या-03/2020/315 (1)/46-2-2020-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान प्रबन्धक (वित्त), उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इण्डियन बैंक, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जाने वाली नकद साख सीमा पर शासकीय गारण्टी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने के साथ-साथ शासकीय गारण्टी एवं काउन्टर गारण्टी के प्रारूप विधीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कराते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।